



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 501 राँची, बुधवार, 9 श्रावण, 1946 (श०)
31 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 जून, 2024

संख्या-4/आरोप-05/2023 का० 3917--श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० की सांविदिक अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप पत्रांक-130 दिनांक-03.02.2024 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के कुल 05 पदाधिकारियों के विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख/संचिका विभाग को वापस कर दिया गया है। तदनुसार श्री सिंह से प्राप्त निम्नवत् 05 (पाँच) विभागीय कार्यवाही अभिलेखों/संचिकाओं को श्री कमल जॉन लकड़ा को अंतरित करते हुए इन मामलों में उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	विभागीय संकल्प सं०	आरोपी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1.	336/16.01.2024	श्री अरबिन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची सम्प्रति-उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची। (अभिलेख सं०- 55/2024)
2.	6444/14.11.2023	श्रीमती लालिमा डाडेल, तत्कालीन अवर सचिव, कारा निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अधिसूचित अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची। (अभिलेख सं०- 49/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-40)
3.	6443/14.11.2023	श्री संतोष कुमार, तत्कालीन अवर सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति-दिनांक-30.11.2023 को सेवानिवृत्त। (अभिलेख सं०-50/2023, आदेश फलक, पृष्ठों की सं०-2, पत्राचार भाग, पृष्ठों की सं०-63)
4.	335/16.01.2024	श्री राजेन्द्र प्रसाद राजेश, तत्कालीन अवर सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति- दिनांक- 30.04.2023 को सेवानिवृत्त। (अभिलेख सं०- 56/2024)
5.	363/17.01.2024	श्री अरबिन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची संप्रति-उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची । (अभिलेख सं०-57/2024)

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव ।
